दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 1095/2008 व 2146/2008

निर्णय दिया गया : दिनांक 08.01.2014

मैसर्स मदन लाल पवन कुमार ..... याचिकाकर्ता

के माध्यम सेः श्री किशन नौटियाल, अधिवक्ता

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली व अन्य .....प्रत्यर्थी

के माध्यम सेः श्री एस.डी. सलवान और श्री लतिका दत्ता, अधिवक्तागण

कोरमः-

माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सिस्तानी

<u>श्री जी.एस. सिस्तानी (मौखिक)</u>

1. नियम। पक्षकारगण के अधिवक्ता(ओं) की सहमति से वर्तमान याचिका अंतिम सुनवाई हेतु रखी जाती है। इस याचिका के निपटान हेतु आवश्यक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता मैसर्स मदन लाल पवन कुमार को केरोसीन(मिटटी के तेल) तेल के वितरण हेतु अनुज्ञप्ति (अनुज्ञप्ति सं. 1783/77) जारी की गई थी। उक्त केरोसीन तेल डिपो (केओडी)

सर्कल 38 के अंतर्गत ब्लॉक सं. 6/499, खिचड़ीपुर, दिल्ली में स्थित है। याचिकाकर्ता फर्म 1977 से केरोसीन तेल के वितरण हेतु अनुज्ञप्तिधारी है, अनुज्ञप्ति की एक प्रति अभिलिखित की गई है। दिनांक 28.04.1995 को प्रत्यर्थी का एक निरीक्षण स्टाफ याचिकाकर्ता फर्म के डिपो में नियमित निरीक्षण हेतु आया। उस समय वर्तमान स्वत्वधारी का पिता स्वर्गीय श्री मदन लाल केरोसीन तेल का डिपो चला रहा था। डिपो के निरीक्षण के बाद, दिनांक 1.4.1995 से दिनांक 28.4.1995 की अवधि के दौरान 1233 लीटर केरोसीन तेल की कमी के आरोप के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। दिनांक 07.06.1995 को सहायक आयुक्त (पूर्व) ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर मैसर्स मदन लाल पवन कुमार की अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी। दिनांक 16.08.1995 को सहायक आयुक्त (न्यायिक) ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलिखित प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् निलंबन के आदेश को प्रतिसंहृत कर दिया तथा इस आधार पर प्रतिभूति राशि समपहृत करने की शास्ति अधिरोपित की कि केरोसीन तेल की वास्तविक कमी 68 लीटर थी, जो अनुमेय सीमा के भीतर थी तथा अधिक नहीं थी।

2. इस बीच, दिल्ली केरोसीन तेल (निर्यात एवं मूल्य) नियंत्रण आदेश 1962 के अंतर्गत अपराधों के अभियोजन हेतु प्राथमिकी दर्ज करने पर

संस्थित कार्यवाही में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने दिनांक 03.04.2001 के निर्णय के अंतर्गत वर्तमान स्वत्वधारी के पिता को दोषी सिद्ध किया और उसे न्यायालय उठने तक कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया और 2,000/- रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया।

3. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि दोषसिद्धि के बाद भी याचिकाकर्ता फर्म के वर्तमान स्वत्वधारी के पिता ने दिनांक 24.02.2006 तक केरोसीन तेल का डिपो चलाना जारी रखा। श्री मदन लाल (याचिकाकर्ता फर्म का पूर्व स्वत्वधारी) की मृत्यु दिनांक 24.2.2006 को हो गई। जून, 2006 में याचिकाकर्ता फर्म के वर्तमान स्वत्वधारी ने अपने पिता की मृत्यु के कारण केरोसीन तेल के डिपो की अनुज्ञप्ति में स्वत्वधारी का नाम परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया। सहायक आयुक्त ने दिनांक 13.06.2006 के आदेश के अंतर्गत नाम परिवर्तित करना अनुज्ञात किया और याचिकाकर्ता फर्म के वर्तमान स्वत्वधारी को केरोसीन तेल के डिपो की प्रतिभूति हेतु 5,000/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया। दिनांक 17.08.2007 को ही सहायक आयुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें पूछा गया था कि दिल्ली केरोसीन तेल (निर्यात और मूल्य) नियंत्रण आदेश 1962 के खंड 6 (3) के अंतर्गत प्राधिकरण को रद्द क्यों न किया जाए। कारण

बताओ नोटिस का उत्तर दिनांक 30.08.2007 को दायर किया गया। प्रत्यर्थीगण ने इस प्रकार प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.09.2007 को एक आदेश पारित किया, जिसमें वर्तमान स्वत्वधारी की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। उक्त आदेश के विरुद्ध दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इतने लंबे समय के बाद केओडी की अनुज्ञप्ति रद्द करने का प्रत्यर्थीगण का कृत्य अन्यायपूर्ण है, इस तथ्य के प्रकाश में कि प्रत्यर्थीगण ने 2006 में पहले ही स्वत्वधारी के नाम में परिवर्तन को अनुज्ञात कर दिया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान स्वत्वधारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि वह पुराना हो चुका है और पूर्व स्वत्वधारी के कृत्य को माफ किया जा सकता है, क्योंकि कारण बताओ नोटिस 6 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद जारी किया गया था और इस अवधि के दौरान समय-समय पर इसके अलावा वर्तमान स्वत्वधारी के नाम पर भी अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का दूसरा तर्क यह है कि एक बार जब सहायक आयुक्त (न्यायिक) ने अपने आदेश दिनांक 16.08.1995 के माध्यम से निलंबन के आदेश को प्रतिसंहृत कर दिया था और प्रतिभूति राशि समपहृत करने की शास्ति अधिरोपित की थी, तो उसी अपराध के लिए पुनः दंडादेश और वह भी

वर्तमान स्वत्वधारी पर नहीं दिया जा सकता, जिसका पूर्व स्वत्वधारी द्वारा किए गए अपराध से कोई संबंध नहीं है।

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री सलवान ने प्रस्तुत किया कि जब मूल अनुज्ञप्तिधारी ने उल्लंघन किया था और उसे दोषी सिद्ध किया गया था, तो प्रत्यर्थीगण को दिल्ली केरोसीन तेल (निर्यात और मूल्य) नियंत्रण आदेश 1962 दिनांक 5.12.1962 के खंड 6 के अनुसार कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, जो इस प्रकार है:

> "6. <u>अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों का उल्लंघनः</u>
>
> (1) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उसका अभिकर्ता(एजेंट) या सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति इस आदेश की किसी शर्त या निर्देश या किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो विधि के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयुक्त द्वारा लिखित आदेश द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित की जा सकती है।
>
> खंड 6(1) के परंतुक के अनुसार दिनांक 15.2.80 का आदेश।
>
> (2) उप-खंड 1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि आयुक्त को यह विश्वास हो कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की किसी शर्त या खंड 3-घ के अधीन जारी निर्देशों या इस आदेश के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है और उसकी अनुज्ञप्ति रद्द की जानी आवश्यक है, तो वह अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित रद्दीकरण के विरुद्ध अपना मामला बताने का

युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा और उसकी एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को भेजेगा।

(3) इस खंड में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति की शर्तों और निबंधनों के उल्लंघन या इस आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया जाता है, वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा।

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर अपील, यदि कोई हो, खारिज नहीं हो जाती और जहां ऐसी कोई अपील दायर नहीं की जाती है, तब तक अपील दायर करने की सीमा अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

6. विलंब के संबंध में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों के संबंध में, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विलंब प्रक्रियागत है, क्योंकि 18 वर्षों की अवधि में एक जोन में 24 सहायक आयुक्तों को स्थानांतरित किया गया था, और दूसरे जोन में 10 वर्षों में 12 सहायक आयुक्तों को स्थानांतरित किया गया था।

7. उपरोक्त के उत्तर में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि यदि प्रत्यर्थीगण को दिल्ली केरोसिन तेल (निर्यात और मूल्य) नियंत्रण आदेश 1962 के खंड 6 पर निर्भरता व्यक्त करनी थी, तो उन्हें वादहेतुक की तिथि से कम से कम समय के भीतर और किसी भी मामले में उचित

समय के भीतर इसका प्रयोग करना चाहिए था। यह भी प्रतिवाद किया गया है कि कार्रवाई करने में काफ़ी विलंब के कारण, प्रत्यर्थीगण को दिल्ली केरोसिन तेल (निर्यात और मूल्य) नियंत्रण आदेश 1962 के खंड 6 पर निर्भरता व्यक्त करने से रोक दिया गया है, जिसे प्रत्यर्थीगण द्वारा उनके आचरण के आधार पर छोड़ दिया गया माना जाएगा; और इसके विपरीत, अनुज्ञप्ति के निरंतर नवीकरण से याचिकाकर्ता के पक्ष में निहित अधिकार सृजित हो गए हैं, जिन्हें इस विलम्बित चरण में वापस नहीं लिया जा सकता।

8. मैंने पक्षकारगण के अधिवक्ता(ओं) की बात सुनी है तथा याचिका के साथ-साथ याचिका के साथ संलग्न उपाबंधों का भी परिशीलन किया है।

9. इस मामले में, वर्तमान स्वत्वधारी के पिता को केरोसिन तेल के वितरण हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गई थी। निरीक्षण के दौरान कमी पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई। इसके बाद अनुज्ञप्ति के निलंबन के आदेश को प्रतिसंहृत कर दिया गया और वर्तमान स्वत्वधारी के पिता पर इस आधार पर प्रतिभूति जमा राशि समपहृत करने की शास्ति अधिरोपित की गई कि केरोसिन तेल की वास्तविक कमी 68 लीटर थी, जो अनुमेय सीमा के भीतर थी। दिनांक 16.8.1995 के आदेश की एक प्रति अभिलिखित की गई है। आदेश का प्रभावी भाग इस प्रकार है:

"इसलिए, आई जेड.यू. सिद्दीकी, सहायक आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, दिल्ली के. ऑयल (निर्यात और मूल्य) नियंत्रण आदेश 1962 के प्रावधान के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 100/- रुपये (केवल एक सौ रुपये) की पूरी प्रतिभूति राशि का समपहरण करने का आदेश देते हैं, जिसे अनुज्ञप्तिधारी को आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा। दिनांक 7.6.95 का निलंबन आदेश प्रतिसंहृत कर दिया गया है और मैसर्स मदन लाल पवन कुमार द्वारा आयोजित के.ऑयल अनुज्ञप्ति सं. 1783/77 प्रतिभूति की समपहरण राशि जमा करने पर बहाल किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए अधिक सावधान रहने की भी चेतावनी दी जाती है। यद्यपि, यह आदेश नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा डिपो धारक के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई/ निर्णय के पूर्वाग्रह के बिना पारित किया गया है।"

10. इस बीच, वर्तमान स्वत्वधारी के पिता के विरुद्ध भी एक प्राथमिकी दर्ज की गई; और दिनांक 3.4.2001 के एक निर्णय द्वारा, उसे दोषी सिद्ध किया गया और न्यायालय उठने तक कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया, साथ ही 2000/- रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया।

11. वर्तमान स्वत्वधारी ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् स्वामित्व के नाम में परिवर्तन हेतु आवेदन किया था, जिसे अनुमति दे दी गई तथा वर्तमान स्वत्वधारी तब से अपना केरोसिन तेल डिपो चलाता रहा। दिनांक 17.8.2007 को वर्तमान स्वत्वधारी को कारण बताओ नोटिस

जारी किया गया कि दिल्ली केरोसिन तेल (निर्यात एवं मूल्य) नियंत्रण आदेश 1962 के खंड 6(3) के अंतर्गत प्राधिकरण को रद्द क्यों न कर दिया जाए। कारण बताओ नोटिस का उत्तर दायर किया गया। वर्तमान स्वत्वधारी के उत्तर से असंतुष्ट होकर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई।

12. इस मामले में, प्रशासनिक पक्ष से सहायक आयुक्त (न्यायिक) ने मामले के तथ्यों पर गौर करने के बाद अनुज्ञप्ति के निलंबन के आदेश को प्रतिसंहृत कर दिया गया तथा इस आधार पर प्रतिभूति राशि समपहृत करने की शास्ति अधिरोपित की गई कि केरोसिन की वास्तविक कमी 68 लीटर थी, जो अनुमेय सीमा के भीतर थी तथा इससे अधिक नहीं थी।

13. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्कों का सारांश इस प्रकार है:

(i) यदि कोई उल्लंघन/भंग हुआ है, तो वह वर्तमान स्वत्वधारी के पिता द्वारा किया गया है और उसकी मृत्यु के बाद वर्तमान स्वत्वधारी के पक्ष में नई अनुज्ञप्ति जारी की गई है, इस प्रकार उसके पिता का कृत्य माफ़ करने योग्य है; और दूसरी बात, उसे पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के कृत्यों हेतु दंडित नहीं किया जा सकता।

(ii) पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध पहले ही प्रशासनिक कार्रवाई की जा चुकी है और शास्ति भी अधिरोपित की गई है।

(iii) लगभग 12 वर्षों के बाद संस्थित आक्षेपित कार्रवाई पुरानी है।

14. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता का तर्क यह है कि प्रत्यर्थीगण दिल्ली केरोसीन तेल (निर्यात और मूल्य) नियंत्रण आदेश 1962 के खंड (6) के अनुसार कार्रवाई संस्थित करने के अपने अधिकारों के भीतर थे, क्योंकि यह एक स्वतंत्र कार्रवाई थी और केवल विलंब ही याचिकाकर्ता फर्म के कृत्यों को माफ करने का आधार नहीं हो सकता।

15. मूल तथ्य यह है कि अनुज्ञप्ति वर्तमान स्वत्वधारी के पिता को केरोसिन तेल डिपो चलाने के लिए दी गई थी। निरीक्षण करने पर, वर्तमान स्वत्वधारी के पिता, जो उस समय अनुज्ञप्तिधारी था, के जीवनकाल में कुछ अनियमितताएँ पाई गईं। परिणामस्वरूप अनुज्ञप्ति को सहायक आयुक्त (पूर्व) द्वारा निलंबित कर दिया गया और उसके बाद सहायक आयुक्त (न्यायिक) ने निलंबन के आदेश को प्रतिसंहृत कर दिया और प्रतिभूति राशि का समपहरण करने की शास्ति अधिरोपित की। यह भी विवादग्रस्त नहीं है कि जब तक वर्तमान स्वत्वधारी का पिता जीवित था, तब तक दिल्ली केरोसिन तेल (निर्यात और मूल्य) नियंत्रण आदेश 1962 के खंड (6) के अनुसार उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद, अनुज्ञप्ति वर्तमान स्वत्वधारी के नाम पर स्थानांतरित हो गई, जो एक अलग इकाई है, और इसके अलावा उक्त अनुज्ञप्ति को समय-समय पर नवीकृत किया गया था। 12 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद ही केओडी को रद्द करने के लिए नया कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई, क्योंकि प्रत्यर्थीगण के

अनुसार, पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को 1962 के आदेश के अनुसार आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए जाने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

16. बेशक, सहायक आयुक्त द्वारा वर्तमान स्वत्वधारी के पिता के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी और प्रतिभूति राशि समपहृत करने की शास्ति अधिरोपित की गई। याचिकाकर्ता फर्म के विरुद्ध 12 वर्ष से अधिक समय तक कोई और प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार मेरे विचार में इतनी देरी से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती और वह भी पूर्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए कृत्य हेतु याचिकाकर्ता फर्म के वर्तमान स्वत्वधारी के विरुद्ध। अन्यथा भी 12 वर्ष तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई न करना और इसके विपरीत समय-समय पर याचिकाकर्ता फर्म की अनुज्ञप्ति का नवीकरण करना गलत काम करने वाले के कृत्य को माफ करने के समान होगा; और 12 वर्ष बाद, प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता फर्म के विरुद्ध कार्रवाई करने से विबंधित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने आचरण से अपने अधिकारों का त्याग कर दिया है। सरकार को निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। प्रत्यर्थी की ओर से विलंब और निष्क्रियता के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता फर्म के पक्ष में मूल्यवान अधिकारों का निर्माण हुआ है।

17. यह स्थापित विधि है कि एक वैधानिक प्राधिकरण का उचित, निष्पक्ष और शीघ्रता से कार्य करना अपेक्षित है।

18. प्रत्यर्थीगण ने न केवल अपने अधिकार के बारे में लापरवाही बरती है, किंतु इस घोर विलंब हेतु कोई उचित और प्रशंसनीय स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है, और इस प्रकार, प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता फर्म के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने के अपने अधिकार को त्याग दिया है। इसके अलावा, प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता फर्म के वर्तमान स्वत्वधारी के नाम पर अनुज्ञप्ति हस्तांतरित करने के लिए सहमत होकर याचिकाकर्ता फर्म के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के कृत्य को माफ कर दिया है; इसके अलावा, प्रत्यर्थीगण ने वर्तमान स्वत्वधारी को यह उचित विश्वास दिलाया है कि उसका अधिकार और शीर्षक अच्छा है और उसे परेशान नहीं किया जाएगा, इसलिए, पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के कृत्यों के लिए वर्तमान स्वत्वधारी की अनुज्ञप्ति रद्द नहीं की जा सकती।

19. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति वाधवा समिति की रिपोर्ट पर निर्भरता व्यक्त की है। उपरोक्त तथ्यों और टिप्पणियों के प्रकाश में, प्रत्यर्थीगण को इस स्तर पर उनकी निष्क्रियता या रिपोर्ट के निष्कर्षों का लाभ नहीं मिल सकता।

20. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता फर्म के वर्तमान स्वत्वधारी को दंडित नहीं किया जा सकता, इस स्तर पर तो और भी अधिक क्योंकि प्रकाशित कार्य वर्तमान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कभी नहीं

किया गया था। एक पक्षकार उचित रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है, खासकर एक वैधानिक प्राधिकरण के लिए। प्राधिकरण का कर्तव्य था कि वह याचिकाकर्ता के अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के उचित रूप से कार्य करे। यह देखते हुए कि प्राधिकरण ने स्वयं याचिकाकर्ता फर्म की अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया है, उन्होंने स्वयं पहले की सजा को माफ कर दिया है। इसके अलावा, उचित समय के भीतर कार्य न करके और याचिकाकर्ता फर्म के वर्तमान स्वत्वधारी के नाम पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए सहमत होकर, प्रत्यर्थीगण ने उसे यह मानने का एक उचित कारण दिया है कि उसके पक्ष में एक अधिकार प्रोद्भूत हुआ है।

21. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रशासनिक पक्ष से प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता फर्म की अनुज्ञप्ति के निलंबन को प्रतिसंहृत करने का निर्णय किया था और केवल प्रतिभूति राशि समपहृत करने की शास्ति अधिरोपित की थी और उसके बाद दोषसिद्धि के आदेश के बावजूद पूर्व अनुज्ञप्तिधारी अर्थात् श्री मदन लाल के जीवनकाल के दौरान याचिकाकर्ता फर्म के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई कार्रवाई संस्थित नहीं की गई थी, प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई किए गए अपराध को माफ करने के समान है और अपनी कार्रवाई से प्रत्यर्थीगण ने स्वयं याचिकाकर्ता पर कम दंड का आश्रय लेने का निर्णय किया है। तदनुसार, रद्द करने का आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया जाता है।

22. नियम को पूर्ण बनाया गया है। याचिका और आवेदन का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। पक्षकारगण को अपना जुर्माना स्वयं वहन करना होगा।

न्या. जी.एस. सिस्तानी

जनवरी 08, 2014

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*